न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

अपील संख्या 146 / 2022

शर्मा बबीता अरूण कुमार आयु 48 वर्ष पत्नी अरूण कुमार शर्मा, जाति ब्राहमण, निवासी वार्ड संख्या 8, कस्बा मुकंदगढ मण्डी, तहसील नवलगढ, जिला झुंझुनूं (राज0), हाल निवासी 501, सर्व शक्ति, चीनू भाई कॉलोनी, काकरिया अहमदाबाद (गुजरात) 380022

––अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती गायत्री तथाकथित पुत्री स्व0 शुभकरण पत्नी नटवर लाल जोशी जाति ब्राहमण, निवासी मण्डावा हाल निवासी नवलगढ़ रोड, लक्ष्मणगढ, जिला सीकर (राज0)
2. केदारनाथ पुत्र स्व0 शुभकरण, जाति ब्राहमण, निवासी मण्डावा, हाल निवासी 20 पीलखाना द्वितीय लेन, कोलकाता (पश्चिम बंगाल)
3. प्रदीप कुमार जोशी पुत्र स्व0 शिव कुमार ब्राहमण, निवासी मण्डावा हाल निवासी 89 / 100 पण्डित ईशान चन्द रोड, हुगली रीसडा (पश्चिम बंगाल)
4. लक्ष्मी पत्नी स्व0 शिव कुमार ब्राहमण, निवासी मण्डावा हाल निवासी 89 / 100 पण्डित ईशान चन्द रोड़, हुगली रीसडा (पश्चिम बंगाल)
5. कौशल्या पुत्री स्व0 शिव कुमार ब्राहमण, निवासी मण्डावा हाल निवासी 89 / 100 पण्डित ईशान चन्द रोड़, हुगली रीसडा (पश्चिम बंगाल)
6. रेखा जोशी पुत्री स्व0 शिव कुमार ब्राहमण, निवासी मण्डावा हाल निवासी 89 / 100 पण्डित ईशान चन्द रोड, हुगली रीसडा (पश्चिम बंगाल)
7. गीता पुत्री शुभकरण स्त्री नरसिह प्रसाद मिश्रा, जाति ब्राहमण, निवासी झगड़ा मस्जिद के पास, शेखावाटी रामगढ, जिला सीकर।
8. किशार (पुत्र तारामणी पुत्री शुभकरण) पुत्र मनोहरलाल, जाति ब्राहमण, निवासी द्वितीय फ्लोर, 25 कॉलेज स्ट्रीट, कोलकाता (पश्चिम बंगाल)
9. चन्दा (पुत्री तारामणी) पुत्री मनोहरलाल, जाति ब्राहमण, निवासी द्वितीय फ्लोर, 25 कॉलेज स्ट्रीट, कोलकाता (पश्चिम बंगाल)
10. मुनिया पुत्री स्व0 शुभकरण स्त्री श्री निरंजनलाल लाटा, जाति ब्राहमण, निवासी लाटा हाउस नियर सी–935 रविन्द्र नगर, कुर्ला कैम्प लैण्ड मार्क, मीना सोंडे बंगला उल्हासनगर–5 थाने (महाराष्ट्र)– 421005
11. सुशीला पुत्री स्व0 शुभकरण स्त्री रामकरण मिश्रा, जाति ब्राहमण, निवासी झगडा मस्जिद के पास, रामगढ शेखावाटी, जिला सीकर।
12. तहसीलदार महोदय मण्डावा, तहसील मण्डावा, जिला झुंझुनूं।
13. बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा मुकुन्दगढ जिला झुंझुनूं जरिये शाखा प्रबधक।

––रेस्पोडेन्ट्स

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.12.01 15:43:27 IST
Reason: SelfAttested

प्रथम अपील अन्तर्गत 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 इस अपील खिलाफ आदेश बअदालत तहसीलदार मण्डावा, जिला झुंझुनूं (राज0) बाबत नामान्तरण संख्या 180 ग्राम ढाणी जोशियान, तहसील मण्डावा, आदेश दिनांक 18.08.2022

उपस्थितः–

1. श्री विजयपाल, एडवोकेट– अपीलान्ट्स की ओर से उपस्थित।
2. श्री अमर पाल भीमसरिया, एडवोकेट– रेस्पोडेन्ट्स सं0 1 व 10 की ओर से उपस्थित।
3. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक– रेस्पोडेन्ट सं0 12 की ओर से उपस्थित।
4. रेस्पोडेन्ट सं0 2 लगायत 9, 11 व 13 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक 28.11.2021

उक्त विषयक अपील विद्वान तहसीलदार मण्डावा के आदेश दिनांक 18.08.2022 नामान्तरकरण संख्या 160 वाके ग्राम ढाणी जोशियान के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र दफा 96 जा0दी0 पर बहस सुनी गयी। अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र दफा 96 जा0दी0 स्वीकार किया जाता है। अपील अपीलान्ट के अनुसार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 11 के विरूद्ध अदालत हाजा के यहां नामान्तकरण संख्या 85 ग्राम ढाणी जोशियान जटवार हल्का वाहिदपुरा जो तहसीलदार झुंझुनूं द्वारा दिनांक 07.07.2004 को स्वीकृत किया गया उसे खारिज करवाने हेतु अपील पेश की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की उक्त अपील को अदालत हाजा द्वारा आदेश दिनांक 18.05.2022 के द्वारा स्वीकार कर नामान्तकरण संख्या 85 ग्राम ढाणी जोशियान को निरस्त किये जाने का आदेश पारित किया गया। उपरोक्त नामान्तकरण संख्या 85 ग्राम ढाणी जोशियान जमीन खसरा नम्बर 131 से 138 व खसरा नम्बर 69 सरहज मौजा ढाणी जोशियान तहत तहसील झुझुनू हाल तहसील मण्डावा जिला झुंझुनूं के संबंध में स्वीकृत हुआ था। अपीलान्ट ने उक्त आराजी हाल खसरा नम्बर 131 से 138 को राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदारान से पंजीकृत विकय विलेख के मार्फत सन 2021 में कय की और अपीलान्ट के हक में बेचान के आधार नामान्तरकरण संख्या 125 ग्राम ढाणी जोशियान दिनांक 24.08.2021 को स्वीकृत हुआ। अपीलान्ट कयशुदा भूमि पर बतौर खातेदार काश्तकार काबिज है। उपरोक्त तथ्यों की जानकारी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 11 को अदालत हाजा द्वारा निर्णय पारित होने से पहले रही है। उपरोक्त बेचान के तथ्य को एवं राजस्व रिकार्ड को छिपाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अदालत हाजा से निर्णय पारित करवाया है। अदालत हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.05.2022 के विरूद्ध अपीलान्ट ने संभागीय आयुक्त जयपुर कैम्प कोर्ट झुंझुनूं की अदालत में अपील उनवानी शर्मा बबीता अरूण कुमार बनाम श्रीमती गायत्री वगैरह माह जून सन् 2022 में प्रस्तुत की जो लम्बित है। अदालत हाजा के आदेश का आधार मानकर रेस्पोडेन्ट संख्या 12 अदालत मातहत ने अवैध रूप से नामान्तरकरण जैर बहस संख्या 160 ढाणी जोशियान दिनांक 18.08.2022 को मृत व्यक्ति शुभकरण पुत्र महादेव हिस्सा 1/5 के नाम स्वीकृत किया। अपीलान्ट के जमीन जैर बहस में हक अधिकार निहित है। निर्णय जैर बहस अपीलान्ट के हितो के विरूद्ध है। अपीलान्ट निर्णय जैर बहस से प्रभावित है। बतौर प्रभावित पक्षकार अपीलान्ट यह अपील प्रस्तुत कर रही है। इस प्रकार अपीलांट की ओर से यह अपील नीचे लिखे अनुसार पेश है कि अदालत मातहत तहसीलदार मण्डावा ज़िला झुंझुनूं द्वारा पारित निर्णय जैर बहस खिलाफ कानून न्याय व पत्रावली है। निर्णय जैर बहस Speeking नही है। अदालत मातहत ने निर्णय जैर बहस पारित करने के रोज जमीन जैर बहस के मौजूदा राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किये बिना ही निर्णय पारित कर तथ्य व विधि की भूल की है। अदालत मातहत ने अदालत हाजा के आदेश कमांक अपील/पाठक/2022/2257 दिनांक 18.05.2022 में यह आदेश पारित नही किया था कि अदालत हाजा ने निर्णय दिनांक 18.05.2022 में यह आदेश पारित नही किया था कि अदालत मातहत शुभकरण के हक में नामान्तरकरण स्वीकार करे। अदालत हाजा ने नामान्तरकरण संख्या 85 दिनांक 07.07.2004 को निरस्त करने के आदेश पारित किये थे तथा प्रकरण अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित नही किया था कि अदालत मातहत पूर्व की स्थिति बहाल करे। शुभकरण पुत्र महादेव की मृत्यु होना एक स्वीकृत तथ्य है। मरे हुये व्यक्ति का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना अवैधानिकता है। यह एक स्वीकृत तथ्य भी है कि शुभकरण का देहान्त आदेश पारित होने से पहले [illegible] है। इस प्रकार अदालत मातहत ने तथ्य व विधि की भूल की है। अदालत मातहत ने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर आदेश पारित किया है। अदालत मातहत ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नही दिया है। अदालत मातहत को अपीलान्ट की खातेदारी खत्म करने का हक नही था। अपीलान्ट [illegible] केता है और जमीन पर काबिज काश्त है। अदालत मातहत को निर्णय [illegible] के वक्त मौजूदा राजस्व रिकार्ड को देखकर अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर देकर कार्यवाही करनी चाहिये थी। अदालत मातहत ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 व राजस्थान लैण्ड रिकार्ड रूल्स 1957 में नामान्तकरण के संबंध में जो प्रावधान है उनको नजर अदाज कर निर्णय जैर बहस पारित किया है। अदालत मातहत ने विधि को अनदेखा कर राजस्व रिकार्ड में जरिये नामान्तरकरण जैर बहस शुभकरण के नाम की प्रविष्टी गलत की है। अदालत मातहत ने अदालत हाजा के आदेश दिनाक 18.05.2022 की अवहेलना की है। जमीन जैर बहस रेस्पोडेन्ट संख्या 13 के रहन है। इस कारण कानूनी खामी से बचने के लिये उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.12.01 15:43:27 IST
Reason: SelfAttested

रेस्पोडेन्ट को अपील में पक्षकार बनाया गया है। अदालत हाजा के यहा निर्णित अपील संख्या 53/2021 निर्णय दिनांक 18.05.2022 उनवानी श्रीमती गायत्री बनाम केदारनाथ में रेस्पोडेन्टस संख्या 1 से 11 बतौर वारिश शुभकरण पक्षकार रहे है। इस कारण अपील में उक्त रेस्पोडेन्टस को शुभकरण की जगह बतौर तथाकथित वारिस पक्षकार बनाया गया है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट मंजूर फरमाई जाकर अदालत मातहत तहसीलदार झुंझुनूं द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 160 दिनांक 18.08.2022 ग्राम ढाणी जोशियान तहसील मण्डावा जिला झुंझुनूं को अपास्त किये जाने का आदेश दिया जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स ने बहस के दौरान अपील तथ्यों की पुनरावर्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि निर्णय जैर बहस Speeking नही है। अदालत मातहत ने निर्णय जैर बहस पारित करने के रोज जमीन जैर बहस के मौजूदा राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किये बिना ही निर्णय पारित कर तथ्य व विधि की भूल की है। अदालत मातहत ने अदालत हाजा के आदेश क्रमांक अपील/पाठक/2022/2257 दिनांक 18.05.2022 में यह आदेश पारित नही किया था कि अदालत हाजा ने निर्णय दिनांक 18.05.2022 में यह आदेश पारित नही किया था कि अदालत मातहत शुभकरण के हक में नामान्तरकरण स्वीकार करे। अदालत हाजा ने नामान्तरकरण संख्या 85 दिनांक 07.07.2004 को निरस्त करने के आदेश पारित किये थे तथा प्रकरण अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित नही किया था कि अदालत मातहत पूर्व की स्थिति बहाल करे। शुभकरण पुत्र महादेव की मृत्यु होना एक स्वीकृत तथ्य है। मरे हुये व्यक्ति का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना अवैधानिकता है। यह एक स्वीकृत तथ्य भी है कि शुभकरण का देहान्त आदेश पारित होने से पहले हो चुका है। इस प्रकार अदालत मातहत ने तथ्य व विधि की भूल की है। अदालत मातहत ने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर आदेश पारित किया है। अदालत मातहत ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नही दिया है। अदालत मातहत को अपीलान्ट की खातेदारी खत्म करने का हक नही था। अपीलान्ट एक सद्भाविक क्रेता है और जमीन पर काबिज काश्त है। अदालत मातहत को निर्णय जैर बहस पारित करने के वक्त मौजूदा राजस्व रिकार्ड को देखकर अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर देकर कार्यवाही करनी चाहिये थी। अदालत मातहत ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 व राजस्थान लैण्ड रिकार्ड रूल्स 1957 में नामान्तकरण के संबंध में जो प्रावधान है उनको नजर अदाज कर निर्णय जैर बहस पारित किया है। अदालत मातहत ने विधि को अनदेखा कर राजस्व रिकार्ड में जरिये नामान्तरकरण जैर बहस शुभकरण के नाम की प्रविष्टी गलत की है। अदालत मातहत ने अदालत हाजा के आदेश दिनाक 18.05.2022 की अवहेलना की है। जमीन जैर बहस रेस्पोडेन्ट संख्या 13 के रहन है। इस कारण कानूनी खामी से बचने के लिये उक्त रेस्पोडेन्ट को अपील में पक्षकार बनाया गया है। अदालत हाजा के यहा निर्णित अपील संख्या 53/2021 निर्णय दिनांक 18.05.2022 उनवानी श्रीमती गायत्री बनाम केदारनाथ में रेस्पोडेन्टस संख्या 1 से 11 बतौर वारिश शुभकरण पक्षकार रहे है। इस कारण अपील में उक्त रेस्पोडेन्टस को शुभकरण की जगह बतौर तथाकथित वारिस पक्षकार बनाया गया है। विवादित प्रकरण से संबंधित अपील माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर मे विचाराधीन है। अपीलान्ट ने यह अपील 12 साल बाद पेश की है। 12 साल तक अपीलान्ट ने विवादित भूमि का कब्जा लेने की कार्यवाही नही की। अपीलान्ट का पिता शुभकरण फौत हो चुका है। काननून मरे हुए व्यक्ति के नाम नामान्तरकरण नही भरा जा सकता है। माननीय न्यायालय जिला कलेक्टर ने नामान्तकरण सं0 85 को खारीज करने के आदेश दिनांक 18.05.2022 को दिये है। अदालत मातहत तहसीलदार मण्डावा उसके स्थान पर नया नामान्तरकरण सं0 160 स्वीकार [illegible] सकता है। वकील अपीलान्ट ने मान0 राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर द्वारा एस0बी0 [illegible] पीटिशन सं0 5495 ऑफ 2002 मे पारित निर्णय दिनांक 11.03.2016 की ओर ध्यान आकृषित [illegible] हुए कथन किया कि नामान्तरकरण आदेश की 12 साल तक अपील पेश [illegible] खातेदारी खारीज मानी जावेगी। अतः अपील अपीलान्ट मंजूर फरमाई जाकर [illegible] दार झुंझुनू द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 160 दिनांक 18.08.2022 ग्राम ढाणी जोशियान तहसील मण्डावा जिला झुंझुनूं को अपास्त किये जाने का आदेश दिया जावे।

रेस्पोडेन्ट सं0 2 लगायत 9, 11 व 13 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित। रेस्पोडेन्ट सं0 2 लगायत 9, 11 व 13 के विरूद्व एकतरफा बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.12.01 15:43:27 IST
Reason: SelfAttested

बहस के दौरान वकील रेस्पोडेन्ट्स सं0 1 व 10 ने वकील अपीलान्ट्स के कथनों का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि माननीय न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं द्वारा अपील से संबंधित अपील सं0 53/2021 मे पारित आदेश दिनांक 18.05.2022 के विरूद्व माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर मे अपील विचाराधीन है। अपीलान्ट मुझे मेरे हक से वंचित नही कर सकते है। मैं स्व0 शुभकरण की जाईन्दा वारिस हूं। अपीलान्ट मेरे हिस्से की जमीन नही बेच सकते है। अपीलान्ट की अपील सारहीन है। अतः अपील अपीलान्ट खारीज फरमाई जावे।

बहस के दौरान राजकीय वकील रेस्पोडेन्ट सं0 12 ने वकील अपीलान्ट के कथनों का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि अदालत मातहत तहसीलदार मण्डावा द्वारा भरा गया नामान्तरकरण सं0 160 बाद जांच एवं सुनवाई के भरा गया है जिसमे कोई अनियमितता नही है। अतः अपील अपीलान्ट खारीज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। दस्तावेजों के अवलोकन से जाहिर है कि विवादित भूमि ग्राम ढाणी जोशियान के संबंध मे भरे गये नामान्तरकरण सं0 160 से संबंधित न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं द्वारा अपील सं0 53/2021 मे पारित आदेश दिनांक 18.05.2022 के विरूद्व माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर मे अपील विचाराधीन है। उक्त अपील मै अपीलान्ट के नामन्तरकरण सं0 160 के संबंध मे हक व अधिकार तय होगें। ऐसी स्थिति मे हम अदालत मातहत द्वारा नामान्तरकरण सं0 160 दिनांक 18.08.2022 वाके ग्राम ढाणी जोशियान को उचित नही मानते है। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर अदालत मातहत को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि तहसीलदार मण्डावा माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर मे विचाराधीन अपील मे पारित किये जाने वाले निर्णय के अध्यधीन रहते हुए नामान्तरकरण के संबंध मे आगामी कार्यवाही करे। मातहत रेकार्ड आदेश प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 28.11.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर,
झुंझुनूं

जिला कलक्टर झुन्झुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.12.01 15:43:27 IST
Reason: SelfAttested